DLC

Dy. Labour Commissioner DLC

Bill no 633

रजिस्टर्ड सं. डी. (डी. एन.) 187
REGISTERED NO. D (D.N.) 187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 1984/श्रावण 4, 1906
No. 30] DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1984/SRAVANA 4, 1906

भाग IV
PART IV

भाग 1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर, दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Delhi Administration, other than notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1984

पत्र संख्या :—डी.ई.वी./जी० आई० एन०/14/78-79/6524 :—इस कार्यालय कि अधिसूचना संख्या डी०ई.वी./जन/14/78-79/5834-37 दिनांक 8-2-84 के क्रम में तथा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1972 की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के उप-राज्यपाल आदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 32 के उपबन्धों को इस सीमा तक संशोधित किया जाये कि इसमें निर्धारित 3 वर्षों की (अवधि) दिल्ली को. ओ. वेजीटेबल एंड फ्रूट ग्रोवरस मार्किटिंग फेडरेशन के मामले में लागू नहीं होगी।

यह आदेश 2 दिसम्बर, 1984 तक लागू रहेगें।

आदेश से,

सनत कौल, विशेष सचिव (सहकारिता)

COOPERATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th July, 1984

No. F./Dev/Gen/14/78-79/6524 :—In continuation of notification No. F./Dev./Genl./14/78-79/5834-37 dated 8-2-84 and in exercise of the powers conferred by section 88 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972, the Lt. Governor of Union Territory of Delhi is pleased to order that the provisions of section 32 of this Act shall be modified to the extent that the period of three years prescribed therein shall not apply in case of the Delhi Cooperative Vegetable and Fruit Growers Marketing Federation Ltd.

The order shall remain in force upto 2nd December, 1984.

By Order,
SANAT KAUL,
Spl. Secy. (Coop)

सेवा-2 विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

संख्या फा. 2 (9)/83-सेवा-2 :—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा. 24/78/68-डी.एच. (एस.) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् :—

(क) श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में (1) उप-श्रमायुक्त, (2) उप-श्रमायुक्त (कल्याण), (3) श्रमायुक्त (कृषक श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी तंत्र 4 तथा (आयुक्त) श्रमिक क्षतिपूर्ति) के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं तथा,

(ख) दिनांक 03-09-1975 की अधिसूचना संख्या फा. 2/129/74-सेवा-2 के अनुसार अधिसूचित श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में उप-श्रमायुक्त, तथा उप-श्रमायुक्त (कल्याण) के पद के भर्ती नियम रद्द करते हैं।

Attested.

The Controller,
Deptt. of Publication,

श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में :—

(1) उप-श्रमायुक्त, (2) उप-श्रमायुक्त (कल्याण), (3) उप-श्रमायुक्त (कृषिश्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी तंत्र) (4) श्रमायुक्त (श्रमिक क्षतिपूर्ति) के पद के भर्ती नियम।

1. पदनाम	1. उप-श्रमायुक्त-2 2. उप-श्रमायुक्त (कल्याण)-1 3. उप-श्रमायुक्त (कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी तंत्र)-1 4. आयुक्त (श्रमिक क्षतिपूर्ति)-1
2. पदों की संख्या :—	5* (1984) परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण :—	"क" वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अलिपिकीय
4. वेतन मान :—	1100-50-1600 रु० यदि दानी सिविल सेवा/के अलावा की किसी सेवा/किसी अन्य राज्य को राज्य सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा धारित हो, (2) ग्रेड का वेतन तथा 100 रु. का विशेष वेतन यदि दानी सिविल सेवा/किसी अन्य राज्य को राज्य सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा धारित हो।
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद :—	चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु-सीमा :—	लागू नहीं
6.क क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, के 1972 के नियम 30 के अधीन जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है :—	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य योग्यताएं :—	लागू नहीं
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	दो वर्ष

1	2
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।	(1) 60 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। (2) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	पदोन्नति :— ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक श्रमायुक्त प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी या दानी सिविल सेवा/किसी अन्य राज्य सरकार की सिविल सेवा के अधिकारी (फीडर श्रेणी के उन विभागीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिये पात्र नहीं समझा जाएगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्त करने के लिये/विचार करने के लिये योग्य नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है।	"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति : (पदोन्नति पर विचार करने के के लिये) : (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य—अध्यक्ष (ख) मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन दिल्ली—सदस्य (ग) प्रशासन में सम्बन्धित सचिव—सदस्य (घ) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जब कि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो—सदस्य 2. "क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति : (स्थायीकरण पर विचार करने के लिये) : (क) मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन दिल्ली—अध्यक्ष (ख) प्रशासन में सम्बन्धित सचिव—सदस्य (ग) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जबकि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो—सदस्य

The Controller,
Dept. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

1	2		
	टीप :— स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई जायेगी यदि आयोग इसको अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की		अध्यक्षता में वि. प. स. की नयी बैठक आयोजित की जायेगी
		13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिये किसी अधिकारी का चयन, पदोन्नति तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित / शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

SERVICES-II DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 13th July, 1984

No. F.2(9)/83-S. II :—In exercise of the powers conferred by the priviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated 24th September, 1968, the Administrator of the Union territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased :—

(i) to make rules in the Schedule hereto annexed regarding method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of (1) Deputy Labour Commissioner, (2) Deputy Labour Commissioner (Welfare), (3) Deputy Labour Commissioner (Minimum Wages Machinery for Agricultural Worker), and (4) Commissioner (Workman Compensation)in the Labour Deptt., Delhi Administration, Delhi; and

(ii) to cancel the recruitment rules for the post of (1) Deputy Labour Commissioner, and (2) Deputy Labour Commissioner (Welfare) in the Labour Department, Delhi Administration, Delhi notified vide notification No. F. 2(129)/74-S. II, dated 03-09-1975.

Recruitment Rules for the post of Deputy Labour Commissioner, Deputy Labour Commissioner (Welfare), Deputy Labour Commissioner (Minimum Wages Machinery for Agricultural Workers), Commissioner (Workmen Compensation) in the Labour Department, Delhi Administration, Delhi.

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6(a)
1. Dy. Labour Commissioner-2. 2. Dy. Labour Commissioner (Welfare)—1 3. Dy. Labour Commissioner (Minimum Wages Machinery for Agricultural Workers)—1 4. Commissioner (Workmen Compensation)—1	5* (1984)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1100-50-1600 if held by an officer other than one of the DANI Civil Services/State Civil Services of any other State. (ii) Grade pay plus special pay of Rs. 100 if held by an officer of the DANI Civil Services/State Civil Services of any other State.	Selection	N.A.	N.A.

*Subject t variation dependent onworkload.

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	2 years.	(1) By promotion failing which by transfer on deputation : 60% (2) By transfer on deputation : 40%

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion : Assistant Labour Commissioner with 7 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Suitable officers holding analogous posts under the Central/State Government or Officers of DANICS/ State Civil Service of any other State. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration/for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).	1. Group 'A' D.P.C. (for considering promotion) : (i) Chairman/Member of the UPSC—Chairman. (ii) Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi—Member. (iii) Secretary concerned in the Administration—Member. (iv) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member 2. Group 'A' D.P.C. (for considering confirmation) : (i) Chief Secretary, Delhi—Chairman. (ii) Secretary concerned in the Admn.—Member. (iii) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Admn.—Member Note :—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with the UPSC necessary while making promotion selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of the rule.

संख्या फा. 2 (40)/82-सेवा-2 :—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा. 27/59-एच.आई.एस. (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् :—

(1) विकास आयुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में (1) फल एंव शाक विशेषज्ञ, (2) शस्य विज्ञानी, (3) बीज विकास अधिकारी, (4) फार्म प्रबन्ध व फसल उपज विशेषज्ञ, (5) जिला प्रशिक्षण अधिकारी तथा (6) भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं तथा

(2) दिनांक 11-12 की अधिसूचना संख्या फा. 2/22/71-सेवा-2 के अनुसार अधिसूचित विकास आयुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली में (1) फल एवं शाक विशेषज्ञ, (2) शस्य विज्ञानी, (3) बीज विकास अधिकारी, (4) फार्म प्रबन्ध व फसल उपज विशेषज्ञ, (5) जिला प्रशिक्षण अधिकारी, (6) भूमि संरक्षण अधिकारी तथा (7) फार्म अर्थशास्त्री के पदों के भर्ती नियम रद्द करते हैं।

विकास आयुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में "ख" वर्ग के अनेक पदों के भर्ती नियम।

1. पदनाम	1. फल एवं शाक विशेषज्ञ 2 2. शस्य विज्ञानी-2 3. बीज विकास अधिकारी-1

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication.